न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर (म.प्र.)

(समक्षः— निकीता चौहान)

सी.एन.आर.क्रमांक :—एम.पी. 1506 001510 2024
चालान प्रस्तुति दिनांक :— 27/09/2024
फाईलिंग नंबरः— 1098/2024
आर.सी.टी. क्रमांक 304/2024

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, देवरी
तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.)

::::: (अभियोगी)

विरूद्ध

1. सोनू लोधी पिता राजाराम लोधी,
2. कडोरी लोधी पिता राजाराल लोधी,
दोनों निवासीगण ग्राम कोपरा थाना देवरी,
जिला सागर म0प्र0

::::: (अभियुक्तगण)

———————————————————————————————

:::: आदेश ::::

(आज दिनांक 08.10.2024 को पारित)

01. इस आदेश के द्वारा यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर धारा 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उपार्पित किया जा रहा है।

02. अभियोजन मामला इस प्रकार है कि थाना देवरी अंतर्गत महिला लक्ष्मी पति सोनू लोधी, उम्र 25 साल निवासी ग्राम कोपरा की अज्ञात जहर खाने से ईलाज के दौरान दिनांक 09.08.2024 को सी.एच.सी. देवरी में खत्म होने पर थाना देवरी के मर्ग क्रमांक 63/24 धारा —194 बी.एन.एस.एस. पंजीबद्ध किया गया तथा मृतिका नवविवाहिता होने से जांच में लिया गया। जांच के दौरान मर्ग इंटिमेशन, पंचायतनामा, जप्ती, पी0एम0 रिपोर्ट, निरीक्षण घटनास्थल, मृतिका के ससुराल पक्ष एवं मृतिका के पिता दुरग, मां रामबाई, बहन तुलसी, गीता, भाई सूरज के कथन लेख किए गए। साक्षीगण ने बताया कि मृतिका की शादी 2021 में सोनू लोधी के साथ हैसियत अनुसार दान दहेज देकर हिन्दू रिवाज अनुसार की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष मृतिका का पति सोनू द्वारा दहेज में मोटरसायकिल की मांग को लेकर मारपीट की जा रही है तथा जेठ कडोरी, जिठानी आरती, व रचना उर्फ भारती लोधी के द्वारा लगातार दहेज में मोटरसायकिल एवं अन्य सामान की मांग की जा रही है तथा पूर्ति नहीं होने पर मृतिका को खाना पीना नहीं देते, जर्बदस्ती काम करवाना तथा घर का सामान उपयोग नहीं करने देना, मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इसी प्रताडना के कारण लक्ष्मी द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया गया जिसकी

ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् उक्त मर्ग जांच हुई तथा प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 80, 86, 108, 3(5) भारतीय न्याय सहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, 4 के तहत अपराध बनना प्रतीत होने से उनके विरूद्ध थाना देवरी के अपराध क्रमांक 392/24 पर मामला पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना मे लिया गया। विवेचना के उपरांत शेष आवश्यक कार्यवाही उपरांत थाना देवरी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 392/24 धारा धारा 80(2), 85, 86, 108, 3(5) भारतीय न्याय सहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, 4 के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अतः यह प्रकरण धारा 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर म.प्र. की ओर उपार्पित किया जाता है।

03. प्रकरण उपार्पित किये जाने की सूचना पृथक से जिला लोक– अभियोजन अधिकारी, देवरी को दी जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजी गई है। अतः उक्त एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित न्यायालय में पेश की जावे।

05. प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्तगण के जेल वारंट पर टीप अंकित कर उपजेल अधीक्षक रहली व अभियुक्तगण के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया है इसलिए नियत पेशी दिनांक 21.10.2024 को सुबह 11.00 बजे सुनवाई हेतु माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, देवरी के न्यायालय मे उपस्थित रहे।

06. निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि, वह अग्रिम नियत् दिनांक 21.10.2024 के पूर्व केस डायरी संलग्न करते हुए, प्रकरण विधिवत् तैयार कर, माननीय सत्र न्यायालय, सागर म.प्र. के न्यायालय में प्रेषित करें।

आदेश आज दिनांक को हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देवरी जिला सागर (म.प्र.)

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देवरी जिला सागर (म.प्र.)

NIKITA CHOUHAN
Digitally signed by NIKITA CHOUHAN
Date: 2024.10.08 15:17:14 +0530